दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों सें संबंधित सामान्य जानकारी) बृहस्पतिवार, 05 सितम्बर, 2002 / भाद्रपद 14, 1924 (शक)

संख्याः 229

सदस्यों की नज़र बन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित पुलिस उपायुक्त, नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली का निम्नलिखित संदेश प्रप्त हुआ है: -

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों श्री रूप चन्द को उनके अन्य समर्थकों के साथ दिनांक 03/09 2002 के अपराहन 03.15 बजे, पुलिस की विधि-सम्मत् निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत पुलिस थाना संसद मार्ग, नई दिल्ली के सामने से नज़र बन्द किया गया।

उन्हें उनके समर्थकों साथ उसी दिन अर्थात् दिनांक 03/09/2002 को अपराहन 03.31 बजे, पुलिस थाना, संसद मार्ग, नई दिली से रिहा कर दिया गया ।"

एस₀ के₀ शर्मा सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters) Thursday 5th September, 2002/ Bhadrapada 14, 1924(Saka)

No. 229

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from Dy Commissioner of Police, New Delhi Distt., New Delhi:

"I have the honour to inform you that Shri Roop Chand, Hon'ble members of Legislative Assembly, Delhi alongwith hi supporters was detained U/S 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful direction of police opposite Police Station Parliament Street, New Delhi at 3.15 P.M. on 3.9.2002.

He alongwith his supporters was released at 3.31 P.M.from Police Station Parliament Street, on the same day i.e. 3.9.2002."

S.K.SHARMA SECRETARY